

अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल

क्र./एफ- / 1-1 / 2004 / 26-2

भोपाल, दिनांक 2/6/2004

प्रति,

1. समस्त कलेक्टरस,
मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
3. समस्त संयुक्त संचालक / उपसंचालक
पंचायत एवं समाज कल्याण
मध्यप्रदेश

विषय: जिला सरकार व्यवस्था को समाप्त किया जाना-समाज कल्याण विभाग के प्रशासनिक एवं विधिक अधिकारों का प्रत्यायोजन।

राज्य शासन द्वारा जिला सरकार व्यवस्था को समाप्त करने के निर्णय के फलस्वरूप समाज कल्याण विभाग के प्रशासनिक अधिकारों का प्रत्यायोजन संलग्न सूची अनुसार किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.के.जैन)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

समाज कल्याण विभाग

प्रतिलिपि

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग
2. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को उनके ज्ञा. क्र. एफ-11-48 / 2003 / 2 / 9, दिनांक 19.1.2004 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग,
5. आयुक्त, पंचायत एवं समाज कल्याण, मध्यप्रदेश
6. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
समाज कल्याण विभाग

प्रशासकीय अधिकारों संबंधी प्रपत्र

| स. क्र. | विषय | पूर्व में प्रदत्त अधिकार | वर्तमान में अधिकारों का प्रयोग करने वाला सक्षम अधिकारी | आदेश निरस्तीकरण के उपरांत उक्त अधिकार किसे सौंपा जाना है | अधिकार की सीमा | रिमार्क |
|---------|--|--------------------------|--|---|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | नियुक्ति का अधिकार तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, (पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक, परिवीक्षा अधिकारी, जिला अंकेक्षक, जिला पंचायत के सौंपे गये अमले को छोड़कर | संभाग स्तर पर | जिला स्तर पर (जिला कलेक्टर) | कलेक्टर | पूर्ण | |
| 2 | स्थानांतरण के अधिकार तृतीय श्रेणी | संभाग स्तर पर | जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला स्थानांतरण बोर्ड | जिला कलेक्टर (पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक, परिवीक्षा अधिकारी, जिला अंकेक्षक, (जिला पंचायत के सौंपे गये अमले को छोड़कर) | पूर्ण | |
| 3 | अर्जित अवकाष (अ) चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) कार्यपालिक को छोड़कर | संभाग अंतर्गत | कार्यालय प्रमुख / संस्था प्रमुख / जिला प्रमुख | कार्यालय प्रमुख | पूर्ण | |
| | तृतीय श्रेणी (कार्यपालिका) | संभाग स्तर पर | कार्यालय प्रमुख / संस्था प्रमुख / जिला प्रमुख | कार्यालय प्रमुख | एक बार में 120 दिन तक इससे अधिकार के लिये कलेक्टर | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------|---|--------------------------|---|--|
| | द्वितीय श्रेणी | संभाग स्तर पर | कार्यालय प्रमुख / संस्था प्रमुख / जिला प्रमुख | जिला कार्यालय प्रमुख | एक बार में 120 दिन तक इससे अधिकार के लिये कलेक्टर | |
| | | | | संभाग में संयुक्त संचालक | पूर्ण अधिकार | |
| | प्रथम श्रेणी (संयुक्त संचालक को छोड़कर) | संभाग स्तर पर | कार्यालय प्रमुख / संस्था प्रमुख / जिला प्रमुख | कलेक्टर | एक बार में 15 दिन | |
| | | | | संभाग में संयुक्त संचालक | एक बार में 120 दिन (इससे अधिक शासन) | |
| | | | | | एक बार में 120 विभागाध्यक्ष दिन (इससे अधिक शासन) | |
| 4 | अर्द्धवैतनिक एवं लघुकृत अवकाष (अ) चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिका छोड़कर) | संभाग स्तर पर | कार्यालय प्रमुख / संस्था प्रमुख / जिला प्रमुख | कार्यालय प्रमुख | पूर्ण अधिकार | |
| | (ब) तृतीय श्रेणी (कार्यपालिका) | संभाग स्तर पर | कार्यालय प्रमुख / संस्था प्रमुख / जिला प्रमुख | कार्यालय प्रमुख | एक बार में 180 दिन अर्द्धवैतनिक एवं 90 दिन लघुकृत अवकाष | |
| | (स) द्वितीय | संभाग | कार्यालय | कार्यालय प्रमुख | एक बार | |

| | | | | | | |
|--|--------|---------|--|----------------------------|-----------------|--|
| | श्रेणी | स्तर पर | प्रमुख / संस्था / प्रमुख / जिला / प्रमुख | | में 90 दिवस | |
| | | | | संभाग के संयुक्त संचालक | पूर्ण अधिकार | |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|---|-----------------|--------------------------------|--|
| | (द) प्रथम श्रेणी (संयुक्त संचालक को छोड़कर) | संभाग स्तर पर | कार्यालय प्रमुख / संस्था / प्रमुख / जिला प्रमुख | कार्यालय प्रमुख | कलेक्टर | एक बार में 60 दिन का अर्द्धवैतनि क एवं 30 दिन लघुकृत अवकाष |
| | | | | | संभाग में संयुक्त संचालक | एक बार में 180 दिन अर्द्धवैतनि क एवं 90 दिन (इससे अधिक शासन को) |
| | प्रथम श्रेणी (संयुक्त संचालक) | संभाग स्तर पर | कार्यालय प्रमुख / संस्था / प्रमुख / जिला प्रमुख | कार्यालय प्रमुख | कलेक्टर | एक बार में 60 दिन का अर्द्धवैतनि क एवं 30 दिन लघुकृत अवकाष |
| | | | | | विभागाध्य क्ष | एक बार में 180 दिन अर्द्धवैतनि क एवं 90 दिन (इससे अधिक शासन) |

| | | | | | | को) |
|---|--|------------------|---|-------------------------|--|-----|
| 5 | अदेय अवकाष (अ) चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) | संभाग स्तर पर | कार्यालय प्रमुख / संस्था प्रमुख / जिला प्रमुख | कार्यालय प्रमुख | पूर्ण | |
| | (ब) तृतीय श्रेणी (कार्यपालिका) | संभाग स्तर पर | कार्यालय प्रमुख / संस्था प्रमुख / जिला प्रमुख | जिला कार्यालय प्रमुख | एक बार में अधिकतम 90 दिवस (इससे अधिक विभागाध्य क्ष) | |
| 6 | असाधारण अवकाष (अ) चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिका छोड़कर) | संभाग स्तर पर | कार्यालय प्रमुख / संस्था प्रमुख / जिला प्रमुख | कार्यालय प्रमुख | 120 दिवस (इससे अधिक संभागीय संयुक्त संचालक) | |
| | (ब) तृतीय श्रेणी (कार्यपालिका) | संभाग स्तर पर | कार्यालय प्रमुख / संस्था प्रमुख / जिला प्रमुख | कार्यालय प्रमुख | एक बार में 120 दिन इससे अधिक सभा संयुक्त संचालक | |
| 7 | सेवा निवृत्त पूर्व अवकाष द्वितीय श्रेणी, चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी | संभाग स्तर पर | कार्यालय प्रमुख / संस्था प्रमुख / जिला प्रमुख | कार्यालय प्रमुख | पूर्ण अधिकार | |
| 8 | प्रसूति अवकाष सभी श्रेणी के शासकीय कर्मियों के लिए | संभाग स्तर पर | कार्यालय प्रमुख / संस्था प्रमुख / जिला प्रमुख | कार्यालय प्रमुख | पूर्ण अधिकार | |